GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(29) Forest/2009 Jaipur, dated: 19 MAY 2014

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8 B/Raj./08/19/2009/F.C./1464 dated 31.12.2013 for the project proponent Bhopa ka Bada in Ajmer for diversion of 0.1075 ha. forest area for Construction of new RCC High Water Supply Scheme . The State Government hereby accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 06.02.2014 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearanees granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 510 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Ajmer.
8. Divisional Forest Officer, Ajmer.
9. Executive Engineer PHED City DN. (P&D), Ajmer.

Secretary, Forests

93

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 8 बी/राज0/08/19/2009/एफ.सी. /1464

दिनॉकः 31.12.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : जनपद अजमेर में भोपों का बाड़ा में नवीन आर0सी0सी0 की उच्च जलाशय निर्माण हेतु 0.1075 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक– एफ 14( )2009/वसु/प्रमुवसं/9605, दिनांक– 07.11.2013

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अति0 शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक– प0 1 (29) वन/2009, दिनांक– 13.08.2009 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.07.2010 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करना है, कि केन्द्र सरकार जनपद अजमेर में भोपों का बाड़ा में नवीन आर0सी0सी0 की उच्च जलाशय निर्माण हेतु 0.1075 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है किन्तु शर्त संख्या– 12 की पूर्ण अनुपालन आख्या क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के आदेश जारी किये जाएंगे।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारापेण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़ें स्थानों पर यथोचित् वृक्षारापेण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससें निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग को वानिकी कार्यों हेतु निशुल्क जल आपूर्ति प्रदान करेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. मण्डल वनाधिकारी, अजमेर, राजस्थान।
4. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, नगर खण्ड (उ0 एवं वित्त), अजमेर, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

01/01/2014
(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

51

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 8 बी / राज0 / 08 / 19 / 2009 / एफ.सी. /492

दिनॉकः 22.07.2010

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : भोपों का बाड़ा में नवीन आर0सी0सी0 की उच्च जलाशय निर्माण हेतु 0.1075 हे0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अति0 शासन सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(29)वन / 2009, दिनॉकः 13.08.2009

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन {संरक्षण} अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मॉगी गयी है ।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गयी थी,, जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 14( )वसु / प्रमुवसं / 2366, दिनॉकः 05.05.2010 द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी सूचना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि केन्द्र सरकार भोपों का बाड़ा में नवीन आर0सी0सी0 की उच्च जलाशय निर्माण हेतु 0.1075 हे0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं पॉच वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 / पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 एफ0एन0. 5–3 / 2007 / एफ0सी दिनांक 05.02.2009 दिशानिर्देश में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।प्रत्यावर्तित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अन्य गतिविधी नही किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को पौधोरोण हेतु निशुल्क जलापूर्ति प्रदान की जायेगी।
6. भूवैज्ञानिक की रिर्पोट प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. मण्डल वनाधिकारी,, अजमेर, राजस्थान।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, नगर खण्ड (उ. एवं वित) अजमेर, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}